प्रेस नोट 23/09/2022

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में पशु तस्करों/वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में–

08 पशु तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से वाहन (ट्रक) में लदे 16 मवेशियों सहित कुल 19 राशि मवेशी, 02 चाकू बरामद–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 23.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर मतलूपुर मोड़ के पास से एक वाहन (ट्रक) यूपी 78 डीटी 3770 में क्रूरतापूर्वक लदे 16 राशि मवेशियों (भैंस) बरामद कर 04 पशु तस्करों क्रमशः अतुल पुत्र राजकिशोर निवासी नौगवां थाना पुरवा जनपद उन्नाव, रिजवान पुत्र मुस्ताक निवासी कासीवली सरांय थाना आंचलगंज जनपद उन्नाव, सद्दाम पुत्र इस्माइल व फैजान पुत्र इरफान निवासीगण गद्दोपुर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/22 धारा 411,414 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 में अभियोग पंजीकृत किया गया, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा ग्राम घुटमा से कमरुद्दीन नट पुत्र स्व0 वकील निवासी घुटमा, मौसीन खान पुत्र मोबीन व आजम पुत्र परवेज निवासीगण गद्दोपुर थाना रानीपुर मऊ के कब्जे से एक–एक राशि बछड़ा/बछिया व 02 अदद चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 204/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 4/25 आयुद्ध अधि0 में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दारुल उलूम मस्जिद के पास से मो0 अनस पुत्र हाजी सरीफुलहक निवासी पठानटोला थाना कोतवाली के कब्जे से क्रूरतापूर्वक ले जा रहे एक भैंस को बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0447/22 धारा 411,414 भादवि व 11(1)डी पशु क्रूरता अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तों सहित कुल 06 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 23.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना घोसी पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर मधुबन मोड़ घोसी बस स्टैंड के पास से मु0अ0सं0 474/22 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त क्रमशः कैलाश पुत्र जगरनाथ निवासी बड़की खनिगह, वकील पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी बसावनपुर थाना घोसी व इम्तियाज पुत्र सहवान निवासी गोठा थाना दोहरीघाट, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा डांडी चट्टी के पास से मु0अ0सं0 257/22 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू गौतम पुत्र रामवचन निवासी सोनाडीह थाना उभांव जनपद बलिया, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा रतनपुरा रेलवे स्टेशन मोड़ के पास से मु0अ0सं0 225/22 धारा 363,366 भादवि में वांछित अभियुक्त आनंद गुप्ता पुत्र सोनू निवासी बेलथरा बाजार थाना उभांव जनपद बलिया एवं थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आजमगढ़ तिराहे के पास से मु0अ0सं0 367/22 धारा 457,380,411 भादवि में वांछित अभियुक्त मो0 दानिश पुत्र मो0 मुस्तफा निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 23.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सुभाष राजभर पुत्र रामवचन निवासी हाजीपुर थाना घोसी, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा भूपेन्द्र सिंह पुत्र विजय बहादुर निवासी मुस्तफाबाद थाना हलधरपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा नसीब अहमद, अब्दुल बुदू व मो0 आजम पुत्रगण खलील अहमद निवासी हरिकेशपुरा थाना कोतवाली, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा मुलायम पुत्र शिवचन्द निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिणटोला मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एंटी रोमियो टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी स्वावलम्बन एवं नारी सम्मान) अभियान के क्रम में चलाए जा रहे महिला सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के बारे में किया गया जागरूक–

आज दिनांक–23/09/2022 को जनपद मऊ के थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा शासन द्वारा नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन/महिला कल्याण के प्रति चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान की दिशा में चलाई जा रही पुलिस की महिला सुरक्षा सम्बंधी विभिन्न महिला हेल्प लाइन 1090, यूपी–112, हेल्पलाइन 1076 आदि के बारे में जागरूक किया गया तथा उपस्थित सभी महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को किसी भी विषम परिस्थिति में तत्काल उक्त दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर पुलिस को सूचित करने हेतु बताया गया। सभी बालिकाओं/महिलाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा आत्मरक्षा के बारे में डेमो देकर जागरुक किया गया। साथ ही साथ एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा आसपास बेवजह घूम रहे युवकों/शोहदों से पूछताछ कर चेतावनी दी गयी।